

वनमण्डलाधिकारी का अभिमत

1	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अमान्य करने के संबंध में उपवन संरक्षक का कारण सहित अभिमत नोट आवेदित वन भूमि के व्यपवर्तन पर संभावित लाभों के प्रतिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव मान्य/अमान्य करने बाबत स्पष्ट अभिमत दिया जावे, यदि किन्ही विशेष शर्तों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है तो उन शर्तों का ब्यौरा दिया जावे।	जिला खण्डवा के अंतर्गत कोदवार 33 के.व्ही. ट्रांसमिशन लाईन के पम्प हाउस 1 एवं पम्प हाउस 2 के निर्माण हेतु 5.700 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित होगी जिसमें मूंदी परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 73 रकबा 2.671 हे एवं खण्डवा परिक्षेत्र कक्ष क्रमांक 45 रकबा 2.19 हे. एवं कक्ष क्र. 68 रकबा 0.839 हे. शामिल है। जिसमें से कक्ष 45 एवं 68 वन विकास निगम खण्डवा को हस्तांतरित है। ट्रांसमिशन लाईन एवं पम्प हाउस के निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25 नर्मदानगर जिला खण्डवा को 5.700 हेक्टेयर वनभूमि उपयोग पर प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।
---	---	--


वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल खण्डवा